

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बॉक्स नं.11500,मुम्बई-400 020

सं. 2(65)/2006-07/पीडीसी/
दिनांक-05 /04/07

परिपत्र सं.1
(पीडीसी 2007-2008 श्रृंखला)

**विषय : विद्युत करघा क्षेत्र के लिए प्रौ उ नि यो के अन्तर्गत
@ 20 प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध सहायता
(सी एल सी एस @ 20 % -प्रौ उ नि यो)
प्रचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।**

पी डी सी अनुभाग के परिपत्र सं. 1 एवं 2 (पी डी सी 2006-07 श्रृंखला) दिनांक 7/4/2006 एवं 26/5/2006 के अनुक्रम में उन विनिमाताओं की अतिरिक्त सूची जो निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें परिशिष्ट - एक में संलग्न मशीनरी की मदों के लिए बेंचमार्कड विनिमाताओं (बेंचमार्क मैन्यूफैक्चर्स) के रूप में अनुमोदित किया जा रहा है । वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुलग्नक - एक के कॉलम सं. 3 में दिए अनुसार नवीन मानक मशीन विनिमाताओं को यूनिक मिल कोड नम्बर आवंटित किया गया है । इन सूचीबद्ध मशीनरी विनिमाताओं को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा (प्रति संलग्न)

इसके अलावा जिन विनिमाताओं को आई एस ओ नहीं जमा करने के कारण इस सूची से हटा दिया गया था उन्हें बेंचमार्क विनिमाताओं के रूप में अनुलग्नक - दो में दिए अनुसार पुनः सूचीबद्ध किया गया है ।

नवीन देशी मशीनरी विनिमाताओं साथ ही साथ पुनः सूचीबद्ध मशीनरी के विनिमाताओं का मानकीकरण दिनांक 01/04/2007 से प्रभावी होगा ।

इसके अतिरिक्त परिपत्र सं. 1 एवं 2 (पी डी सी 2006-07 श्रृंखला) दिनांक 7/04/2006 एवं 26/5/2006 के अनुसार मौजूदा विनिमाताओं जिन्होंने अन्य विनिर्मित वस्तुओं को इसमें सम्मिलित करने का अनुरोध किया या उसे भी स्वीकार कर लिया गया है । इन मशीनरी विनिमाताओं की सूची अनुलग्नक -(iii) तीन में दी गई है ।

(डॉ हरशरण दास)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. संबंधित मानक मशीनरी विनिमाताओं को ।
2. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
3. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी प्रा.ऋ.संस्थान
4. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री
5. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
6. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
7. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
8. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
9. सभी निर्यात संवर्धन केन्द्रों के कार्यपालक निदेशक ।
10. सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
11. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक
12. प्रमुख समाचार एजेंसी
प्रौ उ नि यो के संशोधनों / परिवर्तनों को सभी संबंधितों की जानकारी हेतु समाचार पत्रों
सामयिक पत्रिकायें / पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित किया जाए ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
 1. श्री ए. एन. शरण. निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.

(डॉ हरशरण दास)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त